

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

पत्र सं- 10

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीतारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प साकेड़ी

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी साकेड़ी
व भूअ.नि. साकेड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खेतमगरा / नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खराई तहसील खेतमगरा
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 91 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1 | खराई | 91 | मांगु झील | मांगीलाल झील |

उपखण्ड अधिकारी

पीतारीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतमगरा

क्रमांक- 197

प्रतिदिशि :-

दिनांक 4 OCT 2025

1. तहसीलदार खेतमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। मांगीलाल झील

उपखण्ड अधिकारी

पीतारीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतमगरा